

कार्यालय नजारत, जिला एवं सत्र न्यायालय, जिला बुलन्दशहर।

सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि बाहय स्थित न्यायालय, खुर्जा जनपद न्यायालय बुलन्दशहर के परिसर पर बाउन्ड्री वाल की पुरानी ईटो की नीलामी दिनांक 10.08.2021 समय 04.30 बजे को पूर्वानुसार केन्द्रीय हाल जिला न्यायालय परिसर बुलन्दशहर में की जानी है। बोली बोलने में इच्छुक व्यक्ति नीलामी से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में ईटो को बाहय स्थित न्यायालय, खुर्जा में देख सकते है। ईटो की न्यूनतम सरकारी बोली अंकन 1,98,240/-रूपये निर्धारित है। बोली बोलने में इच्छुक व्यक्ति दिनांक 10.08.2021 को समय 02.00 बजे अपराहन तक अपना पहचान पत्र/आधार कार्ड मय प्रार्थना पत्र केन्द्रीय नजारत पर प्रस्तुत करेगें इसके उपरान्त किसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं होगा।

बोली की शर्तें

- 1 बोली बोलने के इच्छुक व्यक्ति को प्रार्थना पत्र मय मूल पहचान पत्र/आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा।
- 2 बोली बोलने से पूर्व सरकारी बोली(1,98,240/-) का 10 प्रतिशत अग्रिम जमा करना होगा।
- 3 बोली जनपद न्यायाधीश द्वारा स्वीकार होने की दशा में नीलामी की सम्पूर्ण धनराशि एकमुस्त तुरंत जमा करनी होगी।
- 4 नीलामी स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर ईटे उठानी होगी।
- 5 बोली बोलने वालों को समय-समय पर जिला न्यायाधीश के निर्देशों का पालन करना होगा।
- 6 जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को किसी भी समय बिना कारण बताये निरस्त कर दें।


दिनांक 29.07.2021

(राम प्रताप सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या-02, बुलन्दशहर/
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।

इस सूचना की प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचना पटों पर चस्या करायी जाये:-

- 1 श्रीमान जिला न्यायाधीश, बुलन्दशहर।
- 2 बाहय स्थित न्यायालय, खुर्जा।
- 2 कार्यालय, जिलाधिकारी, बुलन्दशहर।
- 3 कार्यालय, नगर पालिका परिषद, खुर्जा व बुलन्दशहर।
- 4 कार्यालय, जिला पंचायत, बुलन्दशहर।
- 5 जिला सूचनाधिकारी, वास्ते दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।
- 6 प्रतिलिपि, डी0एस0ए0 को माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा जनपद न्यायालय बुलन्दशहर की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

दिनांक 29.07.2021


(राम प्रताप सिंह)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
न्याय कक्ष संख्या-02, बुलन्दशहर/
अध्यक्ष नीलामी समिति
जनपद न्यायालय, बुलन्दशहर।